

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(3)स्था./गृह-10/16

जयपुर, दिनांक: 13.03.2023

आदेश

निम्न सहायक निदेशक अभियोजनगण के पदस्थापन/स्थानान्तरण प्रशासनिक तौर पर लोकहित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि०वि०
1.	श्री कैलाश चन्द मीना अपर लोक अभियोजक	अ० लोक अभियोजक सं० 1, बूंदी (स्थानान्तरणाधीन)	निरस्त कर यथावत अ० लोक अभियोजक सं० 1, बूंदी	रिक्त पद पर
2.	श्री आवेश सिंह, वि०लोक अभियोजक	न्यायालय वि.लो.अभि. एस.सी./एस.टी. यांरा	अपर लोक अभि डीग भरतपुर	रिक्त पद पर

संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब करारकर पालना सुनिश्चित करें।


(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस एसीबी।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
8. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
10. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर